

प्रेषक,

आर० पी० सिंह,  
अनु सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/  
नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 10 सितम्बर  
जुलाई, 2021

**विषय-** जनपद सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग में अनपरा रेंज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे० आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर हस्तांतरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में। (प्रस्ताव सं०-एफ०पी०/यू०पी०/मिन/24551/2017)


**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-437/11-एफ०पी०/यू०पी०/मिन/24551/2017, दिनांक 06.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अंतर्गत उल्लंघन के संबंध में आख्या उपलब्ध करायी गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में लीज हस्तांतरण का नियम देख लिया गया है ? के संबंध में प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

कृपया प्रकरण से संबंधित समस्त सुसंगत शासनादेशों/नियमों/अधिनियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत लीज हस्तांतरण का परीक्षण कर सुसंगत अभिलेखों सहित प्रस्ताव शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,


  
(आर० पी० सिंह)  
अनु सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव**

**प्रतिलिपि-** निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रभाग, रेनुकूट
3. महाप्रबंधक, नार्दन कोल फील्ड्स लि०, बीना परियोजना, बीना-सोनभद्र।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(आर० पी० सिंह)  
अनु सचिव।